

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
बागपत/अमरोहा/आजमगढ़ ।

संख्या-

/बजट/29(5)/अनु0-15/23/2018-19

दिनांक : 15-10-18

विषय:-

कामधेनु योजना में प्रोत्साहन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए धनराशि का ऑवटन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-66/2018/1581/सैतीस-2-2018-1(10)/2014टीसी, दिनांक 20 अप्रैल, 2018 द्वारा कामधेनु योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में रू0 2500000.00 की प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष रू0 500000.00 (रूपये पाँच लाख मात्र) की धनराशि निम्नानुसार आपको संलग्न Allotment Grid Report के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपको ऑवटित की जाती है। शर्तों से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

क्र0सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	धनराशि(रू0)
1	आजमगढ़	माइको कामधेनु	श्री अवधनाथ यादव	स्व0 श्री रेवती यादव	125000.00
2	बागपत	माइको कामधेनु	श्री जयदेव सिंह	श्री प्रताप सिंह	125000.00
3	बागपत	माइको कामधेनु	श्रीरोहित राठी	श्री धर्मवीर सिंह	125000.00
4	बागपत	माइको कामधेनु	श्री सत्यवीर सिंह	स्व0 श्रीचतर राह	125000.00
				योग	500000.00

- (1) ऑवटित धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/योजनाधिकारी, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (2) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दि0 30-03-2018 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेशों संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06-06-1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय ।
- (3) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत योजना को कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।
- (4) ऑवटित धनराशि को किसी भी दशा में आहरित कर पी.एल.ए., बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा ।
- (5) ऑवटित की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में अनुमन्य नहीं होगा तथा धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यों हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि ऑवटित की जा रही है। विचलन की दशा में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा ।
- (6) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा ।
- (7) ऑवटित धनराशि को उसके बैंक/डाकघर खाते में ही उपलब्ध कराई जायेगी। किसी भी दशा में धनराशि का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा ।
- (8) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं आसकीय व्यय में प्रिव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उपरोक्त बजट मैन्युअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय ऑचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

4/10/18

15/10/18

- (9) एतद्वारा उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक "2403-प्रशुपालन-102-पशु तथा भैस विकास-22-कामधेनु योजना में प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- (10) ऑवटन की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन रजिस्टर के कम सं०-23(अनु०-15) पर अंकित कर ली गई है।
संलग्नक:यथोपरि ।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक ।

संख्या-790 /बजट/29(5)/अनु०-15/23/2018-19 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, बागपत/अमरोहा/आजमगढ़ ।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग,30प्र०, इलाहाबाद ।
- (3) अनु सचिव,30प्र०शासन,पशुधन अनुभाग-2,सचिवालय,लखनऊ ।
- (4) योजनाधिकारी अपर निदेशक,प्रेड-1(गो०वि०) मु० को इस आशय से प्रेषित कि उनके पत्र संख्या-2070/प०-2/36 (29)-1/कामधेनु/2018-19,दिनांक 12-10-2018 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार उक्त धनराशि वा ऑवटन संबंधित आ० वि०अधि० को किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से संबंधित आ०वि०अ० को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए व्यय को समीक्षा कर स्थित से सं०नि०(नि०) को भी अवगत करने का कष्ट करें ।
- (5) अपर निदेशक प्रेड-2, प्रशुपालन विभाग, मुरादाबाद/मेरठ/आजमगढ़ ।
- (6) संयुक्त निदेशक(नियोजन),मुख्यालय ।
- (7) कम्प्यूटर सुपरवाइजर,मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।
- (8) व्यय सहायक,बजट अनुभाग,मुख्यालय ।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक ।

CMZ

Print Report

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-15/10/2018

प्रेषण संख्या:- 790
आवंटन आदेश संख्या:- 002-29-5-ANU-15-23-2018-19
अनुदान संख्या:- 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
102 - पशु तथा भैंस विकास
22 - कामधेनु योजना में प्रोत्साहन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	आजमगढ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	125000 125000	125000 125000
2	बागपत-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	250000 375000	250000 375000
3	अमरोहा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	125000 125000	125000 125000
	योग	वर्तमान प्रगामी	500000 625000	500000 625000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः लाख पच्चीस हजार


(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक
५/१२